

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह
सचिव (व्यय) ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार ।
पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार
सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार
भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना
सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक.....

विषय :- राज्य सरकार के स्वशासी निकायों/संस्थानों के कर्मियों को राज्य सरकार के कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या-6655, दिनांक 21.07.2011 के साथ संलग्न परिशिष्ट में वर्णित प्रतिनियुक्ति की निर्धारित पात्रता/प्रक्रिया/शर्तों के अनुरूप राज्य सरकार के स्वशासी निकायों/संस्थानों के कर्मियों को राज्य सरकार के कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया गया । तत्पश्चात् प्रतिनियुक्ति के संबंध में समय-समय पर उक्त संकल्प में संशोधन किया गया यथा- वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-8044, दिनांक 03.08.2012, संकल्प संख्या-9147, दिनांक 04.09.2013, संकल्प संख्या-5969, दिनांक 09.07.2014, 12612, दिनांक 17.12.2013, 10309, दिनांक 11.12.2014 एवं 3816, दिनांक 16.04.2015 । मूल संकल्प में कई बार संशोधन होने के कारण प्रशासी विभागों को उन निर्देशों को लागू करने में कठिनाई होने लगी । जिसके कारण वित्त विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा लिये गये विभिन्न निर्णय एवं निर्देशों को सुविधा के विचार से समेकित रूप से पन्द्रह (15) बिन्दुओं में समाहित किया गया है जो निम्नवत् है:-

(1) वित्त विभागीय संकल्प संख्या-6655, दिनांक 21.07.2011 के साथ संलग्न परिशिष्ट में वर्णित प्रतिनियुक्ति की निर्धारित पात्रता/प्रक्रिया/शर्तों के अनुरूप राज्य सरकार के स्वशासी निकायों/संस्थानों के कर्मियों को राज्य सरकार के कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति किया जाएगा ।

(2) उक्त संकल्प के साथ संलग्न परिशिष्ट के अन्तर्गत पात्रता की कंडिका-2, प्रक्रिया की कंडिका-2 एवं 4 तथा शर्त की कंडिका-(iii) एवं (x) में संशोधन, शर्त की कंडिका-(xvi) में अल्प संशोधन तथा शर्त की कंडिका-(v) को विलोपित किया गया है। उक्त संकल्प की शेष शर्तें यथावत् हैं।

(3) प्रतिनियुक्ति और सरकारी सेवा में समायोजन के विषय को एक साथ न जोड़ा जाय।

(4) प्रतिनियुक्ति हेतु प्रशासी विभाग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बोर्ड/निगम के कार्यरहित कर्मियों के प्रतिनियोजन के लिए पदवार पात्रता एवं शर्तों का निर्धारण करते हुए विज्ञापन प्रकाशित करेगी। प्राप्त आवेदनों में से सुयोग्य आवेदकों को निर्धारित प्रक्रियानुसार चयनित कर आवश्यकता आधारित पदों पर प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति के लिए विभागीय सचिव/प्रधान सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे।

(5) प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए कर्मियों की अधिकतम आयु सीमा 57 वर्ष होगी।

(6) प्रतिनियुक्ति अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उनकी सेवा पैतृक बोर्ड/निगम को वापस करने का पूर्ण अधिकार विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को होगा।

(7) प्रतिनियुक्त लिपिक/सहायक संवर्ग के कर्मियों को छः माह के अन्दर कम्प्यूटर टंकण ज्ञान हासिल करने की शर्त को विलोपित कर दिया गया है।

(8) प्रतिनियुक्ति की अवधि में यात्रा भत्ता की सुविधाएं विभागीय प्रधान सचिव/सचिव द्वारा देय होगी, जो राज्य सरकार के नियमों से न्यूनतम नहीं होगी।

(9) विभाग में बोर्ड/निगम के प्रतिनियुक्त कर्मियों की सेवा, सेवानिवृत्ति के छः माह पूर्व संबंधित बोर्ड/निगम को स्वतः वापस हो जायेगी।

(10) बोर्ड/निगम में अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू है। प्रतिनियुक्ति अवधि में संबंधित बोर्ड/निगम में लागू अंशदायी भविष्य निधि योजना के अधीन संबंधित कर्मचारी के वेतन से कर्मचारी अंशदान की कटौती प्रतिमाह की जानी है तथा संबंधित बोर्ड/निगम को कटौती की गयी राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा जाना है ताकि संबंधित बोर्ड/निगम उक्त अंशदान की राशि को संबंधित कर्मचारी के अंशदायी भविष्य निधि लेखा में जमा कर सके।

(11) अंशदायी भविष्य निधि योजना के अधीन नियोजक (बोर्ड/निगम) का अंशदान भी संबंधित प्रतिनियुक्त कर्मचारी के अंशदायी भविष्य निधि लेखा में जमा करने का प्रावधान है। वित्त विभागीय पत्रांक-5076, दिनांक 10.07.2003 द्वारा निगम/बोर्डों से प्रतिनियुक्त कर्मियों के छुट्टी वेतन एवं अंशदायी भविष्य निधि लेखा में नियोजक के अंशदान की राशि सरकार द्वारा जमा किये जाने का निर्देश निर्गत है।

(12) बोर्ड/निगम के विभिन्न विभागों/सरकारी कार्यालयों में प्रतिनियुक्त कर्मियों का देय नियोजक अंशदान की राशि की निकासी संबंधित प्रतिनियुक्त कर्मियों के प्रतिनियुक्ति कार्यालय के स्थापना से वेतन मद के अंतर्गत विषय शीर्ष-0107 अन्य भत्ता से कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा एकाउन्ट में सीधे हस्तान्तरण द्वारा संबंधित बोर्ड/निगम को भेजा जाएगा।

(13) यदि प्रतिनियुक्ति अवधि में प्रशासी विभाग/सरकारी कार्यालयों द्वारा नियोजक अंशदान की राशि किसी कारणवश निकासी कर संबंधित बोर्ड/निगम को नहीं भेजी जा सकी हो तो उक्त राशि की निकासी कर शीघ्र भेजा जाय तथा भविष्य में नियमित रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

(14) संबंधित कार्यालयों द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि में कर्मचारियों की भेजी गयी मासिक अंशदान की राशि एवं नियोजक (बोर्ड/निगम) अंशदान की राशि का लेखा-जोखा अलग-अलग संधारित किया जाय ।

(15) परिसमापित लोक उपक्रमों के कर्मियों को विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकती है क्योंकि जब निगम अस्तित्व में नहीं है तो प्रतिनियुक्ति का कोई औचित्य नहीं है ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रावधानों/निदेशों का अनुपालन किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव(व्यय)

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव(व्यय)

1040/-क्र — 16/11/15
प्रतिलिपि:-सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राहुल सिंह)

सचिव(व्यय)